न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 102/2018 राजस्व अपील

1. पप्पू पुत्र देवनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम टोरडा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा राजस्थान पुलिस थाना रामगढ पचवारा

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 15.10.2018 मु.न. 66/2018, अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956, न्यायालय तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा बउनवानी प्रकरण सरकार बनाम पप्पू

उपस्थिति : श्री चन्द्रभान सिंह अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: राजकीय अधिवक्ता उप0।

—: निर्णय :— दिनांक: 18.12.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का सलेमपुरा तहसील रामगढ पचवारा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम टोरडा में स्थित भूमि ख.न. 529/337 किस्म बंजड, पुला कुल रकबा 67 बीधा मे से 2 बीधा भूमि पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल किये जाने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने एवं 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दिनांक 15.10.2018 को दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 15.10.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के सामान्य सिद्धान्तो का पालन नही किया। अपीलान्ट गरीब एवं लघु सिमान्त कृषक हैं। प्रश्नगत भूमि अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि के नजदीक है तथा अपने पूर्वजो के समय से जहां भूमि थी, वही पर काबिज है।

अति0 जिला कलेक्टर
दौसा

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवायी अवसर प्रदान नही किया ना ही दस्तावेजातो का अवलोकन किया ना ही पटवारी हल्का ने उक्त भूमि के सम्बन्ध में पैमाइश की है। अपीलान्ट द्वारा किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही किया है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल किये जाने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने एवं 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दिनांक 15.10.2018 को दण्डित कर दिया गया। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा के निर्णय दिनांक 15.10.2018 निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम टोरडा में स्थित भूमि ख.न. 529/337 किस्म बंजड, पुला कुल रकबा 67 बीधा मे से 2 बीधा भूमि पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल किये जाने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने एवं 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दिनांक 15.10.2018 को दण्डित कर दिया गया। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने एवं सिविल कारावास की सजा से दिनांक 15.10.2018 द्वारा दण्डित कर दिया। किन्तु अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान प्रश्नगत भूमि अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि के नजदीक होना तथा अपने पूर्वजो के समय से जहां भूमि थी, वही पर काबिज होना एवं किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही किया जाना व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा का प्रश्नगत निर्णय दिनांक 15.10.2018 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में जांच एवं मौके का निरीक्षण कर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 18.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official